

125126

पञ्चाशती पक्षे त्रिंशे पक्षे इति कुल पत्र- 34-1  
पार पक्षे- युताधिक राक्षीभा स्त्रीभर तिम पाता  
हो विस्तृत त्रिंशे- अथाग से विषय का पार शाकि-  
तिहा गम्भ तिको पाती हो पञ्चाशती नैष्ठ से 25-  
हा

त्रिंशे मुगदा गम्भ

उपखण्ड अधिकारी  
सूरतगढ़ (राज.)



GOCMS  
2026/63

प्रकरण सं.-38/2026 (जी.सी.एम.एस. नं. 2026/63)

दायर दिनांक:-22.01.2026

--: अनवान :-

1. दलजीत कौर पत्नी सुखदेव सिंह जाति जटसिख निवासी ग्राम श्योपुरा तहसील सूरतगढ़

-वादीया

बनाम

1. सुखजीत कौर पत्नी जगदेव सिंह जाति जटसिख निवासी ग्राम श्योपुरा तहसील सूरतगढ़।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़।

-प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88,53,209 राज0काश्तकारी अधिनियम-1955

उपस्थित:-1. श्री राकेश कुमार मनचन्दा वकील वादीया

2. प्रतिवादी संख्या-01 स्वयं उपस्थित


3. पैरोकार राज नायब तहसीलदार सूरतगढ़



--: निर्णय :-

दिनांक :-12.05.2026

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। वकील वादीया ने वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि तहसील सूरतगढ़ के चक 3 के.एस.आर. की जमाबंदी सम्वत् 2074 ता 2077 की संयुक्त खाता संख्या 151 नई 133 पुरानी में मुरब्बा नं. 72 के पत्थर नं. 55/342 किला नं. 24/2 की 0.025 नहरी व 25/1 की 0.228 नहरी कुल 0.253 हैक्टर नहरी खातेदारी भूमि वादीया व प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से बहिस्सा बराबर यानि 1/2-1/2 हिस्सा अंकित है। वादीया 1/2 हिस्सा यानि 0.1265 हैक्टर हिस्सा भूमि पर काबिज हूँ। वादीया घरू बंटवारा अनुसार कब्जा काश्त में चक 3 के.एस.आर. मु.नं. 72 पत्थर नं. 55/342 के किला नं. 24/2 की 0.0125 हैक्टर नहरी (उत्तरी पासा) व 25/1 की 0.114 हैक्टर नहरी (उत्तरी पासा) कुल 0.1265 नहरी खातेदारी कृषि भूमि व प्रतिवादी सं. 1 के कब्जा काश्त में चक 3 के. एस.आर. मु.नं. 72 पत्थर नं. 55/342 के किला नं. 24/2 की 0.0125 हैक्टर नहरी (दक्षिणी पासा) व 25/1 की 0.114 हैक्टर नहरी (दक्षिणी पासा) कुल 0.1265 नहरी खातेदारी कृषि भूमि पर चली आ रही है। रकबा संयुक्त खाता का होने के कारण राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं कर पा रही है। इस कारण वादीया का परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वादीया मुताबिक घरू बंटवारा खाता विभाजन करवाना चाहती है। इसलिये वाद वादीया स्वीकार किया जावे। वाद पत्र प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 10.04.2026 को वादीया व प्रतिवादी संख्या-01 स्वयं उपस्थित होकर सादा पेपर पर राजीनामा प्रस्तुत किया, जो उभय पक्ष को सुनाया गया जिसे स्वीकार करने पर तस्दीक कर शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या-02 ने भी जबाब दावा प्रस्तुत किया। राजीनामा प्रस्तुत होने पर बहस सुनी गई।

  
उपखण्ड अधिकारी  
सूरतगढ़ (राज.)

उभय पक्ष ने राजीनामा अनुसार वाद वादीया स्वीकार किया जाकर खाता विभाजन करने का निवेदन किया। अतः मुताबिक राजीनामा दिनांक 10.04.2026 अनुसार वाद वादीया स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा प्रश्नगत वादाधीन भूमि का वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार खाता विभाजन किया जाता है।

1. दलजीत कौर पत्नी सुखदेव सिंह जाति जटसिख निवासी ग्राम श्योपुरा तहसील सूरतगढ़ की भूमि:-  
चक 3 के.एस.आर. मु.नं. 72 पत्थर नं. 55/342 के किला नं. 24/2 की 0.0125 हैक्टर नहरी (उत्तरी पासा) व 25/1 की 0.114 हैक्टर नहरी (उत्तरी पासा) कुल 0.1265 नहरी खातेदारी कृषि भूमि

2. सुखजीत कौर पत्नी जगदेव सिंह जाति जटसिख निवासी ग्राम श्योपुरा तहसील सूरतगढ़ की भूमि:-चक 3 के.एस.आर. मु.नं. 72 पत्थर नं. 55/342 के किला नं. 24/2 की 0.0125 हैक्टर नहरी (दक्षिणी पासा) व 25/1 की 0.114 हैक्टर नहरी (दक्षिणी पासा) कुल 0.1265 नहरी खातेदारी कृषि भूमि

राजस्व रिकार्ड में इसी अनुसार खाता विभाजन का अमलदरामद किया जाकर रकम राज अलग-2 कायम हो। रहन को नोट यदि हो तो संबंधित खातेदार के हिस्सा में यथावत् रहेगा। इसी अनुसार परचा डिक्री जारी हो। पत्रावली नंबर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12/05/2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
(भरत जय प्रकाश मीना) I.A.S.  
उपखण्ड अधिकारी  
सूरतगढ़ (राज.)

(ओ021 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

-:: परचा डिक्री:-

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर  
(बड़जलास :-भरत जयप्रकाश मीना, आई.ए.एस.)

-:: अनवान :-

1. दलजीत कौर पत्नी सुखदेव सिंह जाति जटसिख निवासी ग्राम श्योपुरा तहसील सूरतगढ़

-वादीया

बनाम

1. सुखजीत कौर पत्नी जगदेव सिंह जाति जटसिख निवासी ग्राम श्योपुरा तहसील सूरतगढ़।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़।

-प्रतिवादीगण

वाद पत्र धारा-88,53,209 आर.टी.एक्ट मुकदमा नं. 38 वर्ष 2026 (GCMS No. 2026/63) यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादीया श्री राकेश कुमार मनचन्दा व प्रतिवादी सं. 01 स्वयं एवं पैरोकार राज के हाजिर होने पर हुकम दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि:-

अतः मुताबिक राजीनामा दिनांक 10.04.2026 अनुसार वाद वादीया स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा प्रश्नगत वादाधीन भूमि का वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार खाता विभाजन किया जाता है।

1. दलजीत कौर पत्नी सुखदेव सिंह जाति जटसिख निवासी ग्राम श्योपुरा तहसील सूरतगढ़ की भूमि:- चक 3 के.एस.आर. मु.नं. 72 पत्थर नं. 55/342 के किला नं. 24/2 की 0.0125 हैक्टर नहरी (उत्तरी पासा) व 25/1 की 0.114 हैक्टर नहरी (उत्तरी पासा) कुल 0.1265 नहरी खातेदारी कृषि भूमि


2. सुखजीत कौर पत्नी जगदेव सिंह जाति जटसिख निवासी ग्राम श्योपुरा तहसील सूरतगढ़ की भूमि:- चक 3 के.एस.आर. मु.नं. 72 पत्थर नं. 55/342 के किला नं. 24/2 की 0.0125 हैक्टर नहरी (दक्षिणी पासा) व 25/1 की 0.114 हैक्टर नहरी (दक्षिणी पासा) कुल 0.1265 नहरी खातेदारी कृषि भूमि

राजस्व रिकार्ड में इसी अनुसार खाता विभाजन का अमलदरामद किया जाकर रकम राज अलग-2 कायम हो। रहन को नोट यदि हो तो संबंधित खातेदार के हिस्सा में यथावत् रहेगा।

नोज.....x.....मुबलिग.....x.....बाबत.....x.....खर्चा इस मुकदमें मे मय सूद बशरह.....x..... फसदों की पालना.....x..... आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 12/05/2026 को जारी की गई।



  
(भरत जय प्रकाश मीना) I.A.S.  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
सूरतगढ़ (राज.)